सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–04 वृहस्पतिवार, दिनांक–09 नवम्बर, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.10 बजे पूर्वाह्न तक

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। साथ ही कहा कि सदन के अन्दर सरकारी सम्पति को नुकसान नहीं पहुँचायें अन्यथा आसन नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शाति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 03:40 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] आसन का संदेश :–

"इस राज्य के माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्म दिन पर मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। अपने काम और व्यवहार से ये राज्य, देश एवं समाज की तरक्की में हर दिन एक नयी इबारत लिखें। इस शुभ अवसर पर मैं उनके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूँ।

[3] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :–

(i) **बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(ii) **बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023**

माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर का खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में कोई संशोधन मूव नहीं हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति के उपरांत सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

इस विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव; माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री कुमार सर्वजीत; माननीय मंत्री, समाज कल्याण, श्री मदन सहनी; माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार; माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री विजय कुमार सिन्हा तथा माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम एवं अखतरूल ईमान ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये एवं सभी ने स्वीकृति के प्रस्ताव का समर्थन किया। तदुपरान्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसपर अपना पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात् "**बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023**" सदन से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(iv) **बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

इस विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री तार किशोर प्रसाद एवं श्री जीतन राम माँझी द्वारा अपने–अपने विचार व्यक्त किये गये।

तदुपरान्त **"बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023"** सदन से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(v) **<u>बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023</u>**

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री मुरारी प्रसाद गौतम द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

जनमत जानने का प्रस्ताव श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक के खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

तत्पश्चात् विचार का प्रस्ताव सदन से पारित हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृत के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023"** सदन से स्वीकृत हुआ।

[4] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :–

(i) माननीय मंत्री, उर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा–23(3) के तहत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 की एक प्रति को सभा मेज पर रख गया। यह 14 (चौदह) दिनों तक सदन पटल पर रहेगा।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास कराधन अधिनियम, 1992 की धारा–12 के तहत बनाई गई बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास कराधन नियमावली, 1992 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–10 नवम्बर, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–09.11.2023

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।